

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर,

कार्य
जाबक 489
दिनांक 01 APR 2013
XI

// आदेश //

रायपुर दिनांक

क्रमांक एफ 4-12/2013/16, राज्य शासन एतद् द्वारा बंधक श्रमिकों के पुर्नवास हेतु केन्द्र प्रवर्तित सहायता योजनान्तर्गत बंधक श्रमिकों के पुर्नवास सहायता राशि रु. 20,000/- में दिनांक 01.04.2013 से वृद्धि करते हुए रु. 50,000/- करने की सहमति प्रदान करता है। पुर्नवास योजना अंतर्गत केन्द्रांश राशि रु. 10,000/- एवं राज्यांश राशि रु. 40,000/- का भुगतान किया जावे।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ क्रमांक एफ 1004239/ब-1/चार दिनांक 25.02.2013 के द्वारा दी गई सहमति से जारी की जा रही है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार
सद। -

(एन.डी.कुदानी)
अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग,

रायपुर दिनांक 30-03-2013

क्रमांक एफ 4-12/2013/16,

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, रायपुर।
2. सचिव छ.ग. शासन, वित्त विभाग, रायपुर।
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
4. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर।
5. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
6. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग,

30/3/2013